


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राजस्थान)
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिदिर 2025 कैम्प स्थल निम्बाहेडा)
 धारा अर्न्तगत -136 लैण्ड रेवन्स्यू एक्ट प्र.स. 86/2025 दायर दिनांक 9/10/2025 निर्णय दिनांक 21/11/2025

ग्रामीण सेवा शिदिर-2025



क.स.	नाम	खाता नम्बर	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	ईन्दरपुरा	48	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बडौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>1. शिवलाल पिता गोवर्धन जाट सा. केसरखेडी खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p> <p>2. कंकुबाई पति गोवर्धन जाट सा. केसरखेडी खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>1. किशनलाल पिता दला सुथार सा. केसरखेडी खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p> <p>2. कंकुबाई पति गोवर्धन जाट सा. केसरखेडी खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.भू. रा. अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम ईन्दरपुरा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 48 में वर्तमान प्रविष्टी बडौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
	हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर	हस्ताक्षर निरदावर	हस्ताक्षर मोहर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चितौड़गढ़